पत्र संख्या-विधि-1-(3) टेन्ट समाधान योजना-09(2007-08)/1626/1011077 / वाणिज्य कर ।

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

(विधि अनुभाग)

दिनांक:: लखनऊ:: 31 दिसम्बर, 2010

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,
समस्त ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्यपालक)
समस्त डिप्टी कमिश्नर (कर निर्धारण)
समस्त असिस्टेन्ट कमिश्नर (कर निर्धारण)
वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश ।

विषय:- रुपयें पच्चीस लाख तक स्टाक रखने वाले टेन्ट व्यवसाइयों द्वारा टेन्ट, कनात, मेज, कुर्सी, कालीन, दरी, चादर, गद्दा, रजाई, तकिया, बेड तथा सजावट के सामान के उपयोग के अधिकार के अन्तरण पर देय मूल्य संवर्धित कर के विकल्प में वित्तीय वर्ष 2007-08 (दिनांक 01-01-2008 से दिनांक 31-03-2008 तक), 2008-09, 2009-10 एवं 2010-11 के लिए समाधान योजना लागू किया जाना ।

शासन के पत्र संख्या क0नि0-1940/ग्यारह-2-9(66)/ 01 दिनांक 30-12-2010 द्वारा रुपयें पच्चीस लाख तक स्टाक रखने वाले टेन्ट व्यवसाइयों द्वारा टेन्ट, कनात, मेज, कुर्सी, कालीन, दरी, चादर, गद्दा, रजाई, तकिया, बेड तथा सजावट के सामान के उपयोग के अधिकार के अन्तरण पर देय मूल्य संवर्धित कर के विकल्प में वित्तीय वर्ष 2007-08 (दिनांक 01-01-2008 से दिनांक 31-03-2008 तक), 2008-09, 2009-10 एवं 2010-11 के लिए समाधान योजना लागू किये जाने हेतु निर्देश प्राप्त हुये हैं जिसे इस पत्र के साथ संलग्न किया जा रहा है ।

2- शासन के निर्देश के अनुसार इस समाधान योजना के सम्बन्ध में प्रमुख तथ्य निम्नवत् हैं:-

(1) वित्तीय वर्ष 07-08 (दिनांक 01-01-08 से 31-03-08 तक की अवधि), 2008-09, 2009-10, 2010-11 के लिए शासन के उक्त निर्देश के **प्रस्तर (क)** के अनुसार निर्धारित समाधान राशि के जमा करने का ट्रेजरी चालान इस परिपत्र के निर्गत होने की तिथि के 45 दिन के अन्दर निर्धारित प्रारुप में विकल्प प्रार्थना पत्र (संलग्न-**अनुलग्नक**-1) एवं शपथ पत्र / अनुबन्ध पत्र (संलग्न-**अनुलग्नक-2**) के साथ कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा ।

(2) उक्त 45 दिन की अवधि समाप्त होने के पश्चात् अगले 30 दिन की अवधि में 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित समाधान राशि एवं विकल्प प्रार्थना पत्र / शपथ पत्र स्वीकार किया जायेगा ।

(3) समाधान योजन अपनाने वाले व्यापारियों के सम्बन्ध में विवरण **प्रारुप**-1(निम्नलिखित) में तथा समाधान योजना से बाहर रहने वाले व्यापारियों के सम्बन्ध में विवरण **प्रारुप**-2(निम्नलिखित) में **दिनांक 20-02-2011** तक जोनल एडीशनल कमिश्नर द्वारा मुख्यालय उपलब्ध कराया जायेगा तथा पुनः उक्त प्रारुप में विवरण **दिनांक 20-03-2011** तक मुख्यालय उपलब्ध कराया जायेगा ।

समाधान योजना अपनाने वाले टेन्ट व्यवासइयों के सम्बन्ध में विवरण-प्रारुप-1

वर्ष	स्टाक का स्लैब	व्यापारियों की संख्या	प्रति व्यापारी देय समाधान राशि (रु0 में)	कालम 3 में अंकित सभी व्यापारियों द्वारा कुल जमा समाधान राशि (रु0 में)	ब्याज, यदि देय व जमा हो (रु0 में)	कुल जमा धनराशि (कालम-5+6) (रु0 में)
1	2	3	4	5	6	7
2007-08 (1-01-08 से 31-03-08 तक)	रु0 एक लाख तक के स्टाक हेतु					
	रु0 एक से पॉच लाख तक					
	रु0 पॉच लाख से पन्द्रह लाख तक					
	रु0 पन्द्रह से पच्चीस लाख तक					
	योग :-					

2008-09	रु0 एक लाख तक के स्टाक हेतु					
	रु0 एक से पॉच लाख तक					
	रु0 पॉच लाख से पन्द्रह लाख तक					
	रु0 पन्द्रह से पच्चीस लाख तक					
योग :-						

2009-10	रु0 एक लाख तक के स्टाक हेतु					
	रु0 एक से पॉच लाख तक					
	रु0 पॉच लाख से पन्द्रह लाख तक					
	रु0 पन्द्रह से पच्चीस लाख तक					
योग :-						

2010-11	रु0 एक लाख तक के स्टाक हेतु					
	रु0 एक से पॉच लाख तक					
	रु0 पॉच लाख से पन्द्रह लाख तक					
	रु0 पन्द्रह से पच्चीस लाख तक					
योग :-						

समाधान योजना से बाहर रहने वाले टेन्ट व्यवासइयों के सम्बन्ध में विवरण-प्रारुप-2

वर्ष	व्यापारियों की संख्या	व्यापारी वार घोषित स्टाक (रु0 में)	कर विवरणी के अनुसार माल के उपयोग के अधिकार के अन्तरण पर जमा मूल्य संवर्धित कर (रु0 में)	अस्थाई / अन्तिम कर निर्धारण आदेश द्वारा आरोपित मूल्य सवंर्धित कर (रु0 में)	अस्थाई / अन्तिम कर निर्धारण आदेश के फलस्वरुप जमा मूल्य सवंर्धित कर (रु0 में)	बकाया कर (रु0 में)	कुल जमा कर (रु0 में) (कालम 4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
2007-08 (01-01-08 से 31-03-08 तक)							
2008-09							
2009-10							
2010-11							

कृपया शासन के निर्देशानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे । इस समाधान योजना का व्यापाक प्रचार प्रसार किया जाये तथा शासन के निर्देश से व्यापारिक संगठनो एवं अधिवक्ता संघों को अवगत कराते हुये इस योजना की सफलता के लिए हर सम्भव प्रयास किये जायें ।

संलग्नक : 1-समाधान प्रार्थना पत्र का प्रारुप (अनुलग्नक-1)
2-शपथ पत्र / अनुबन्ध पत्र का प्रारुप (अनुलग्नक-2)
3-शासन का उक्त निर्देश ।

3/12

(चन्द्रभानु)
कमिश्नर वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश ।

पृ0प0सं0एवं दिनॉक उक्त ।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

(1) प्रमुख सचिव, वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर विभाग,उत्तर प्रदेश शासन सचिवालय,लखनऊ।
(2) निदेशक, राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना उत्तर प्रदेश शासन,सचिवालय,लखनऊ।
(3) सॅयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन,सचिवालय,लखनऊ (दो प्रतियो में)
(4) अध्यक्ष/निबन्धक उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर, लखनऊ एवॅ समस्त सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, वाणिज्य कर,उ0प्र0
(5) समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1/ ग्रेड-2, वाणिज्य कर , उ0प्र0 मुख्यालय लखनऊ ।
(6) एडीशनल कमिश्नर,ग्रेड-2(वि0अनु0शा0/ अपील), वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश ।
(7) समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0/अपील/कारपोरेट) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
(8) अपर निदेशक सॅयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक, वाणिज्य कर प्रशिक्षण संस्थान,गोमती नगर,लखनऊ ।
(9) महालेखाकार, 171ए अशोक नगर,इलाहाबाद ।
(10) वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी,सतर्कता अधिष्ठान ,विक्रमादित्य मार्ग ,लखनऊ।
(11) प्रबन्धक,इसेंटिव,,पिकप,राणाप्रताप मार्ग लखनऊ ।
(12) समस्त आन्तरिक सम्परीक्षा दल, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
(13) सीनियर डिप्टी एकाउन्टेंट जनरल,रेवेन्यू आडिट विंग,स्टेट आफिस आफ द ए0जी0आडिट 11, सरोजनी नायडू मार्ग,इलाहाबाद।
(14) विकास आयुक्त,नोयडा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंगं जोन,सेक्टर 10नोयडा ।
(15) एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 /ज्वाइन्ट कमिश्नर/डिप्टी कमि0/असिस्टेन्ट कमिश्नर,सर्वोच्च न्यायालय कार्य)गाजियाबाद ।
(16) एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1 / ग्रेड-2 / ज्वाइन्ट कमिश्नर / डिप्टी 0 कमि0 / असि0 कमि0 (उ0न्या0कार्य0)लखनऊ / इलाहाबाद।
(17) मैअनुल अनुभागा/सूचना केन्द्र, नई इकाई अनुभाग को क्रमश: 5- 5 तथा 10प्रतियॉं में ।
(18) विधि अनुभाग मुख्यालय को 50 प्रतियॉं ।
(19) समस्त अनुभाग अधिकारी , वाणिज्य कर,मुख्यालय ।
(20) अध्यक्ष,उत्तर प्रदेश टैक्स एडवोकेट वैल फेयर एसो0185/293अमीनाबाद रोड,गणेश गंज,लखनऊ ।
(21) अधिशासी निदेशक,उद्योग बन्धु, सी 15 माल एवेन्यू,लखनऊ ।
(22) श्री श्याम बिहारी मिश्र,उार प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल,87/349 आर्या नगर,सगीत टाकिज के पीछे कानपुर ।
(23) श्री बनवारी लाल कंछल, अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल,कंछल कुंज, 66,शास्त्री नगर,लखनऊ ।
(24) श्री संदीप बंसल,सदस्य राज्य स्तरीय व्यापार कर सलाहकार समिति , 29बी विधायक निवास दारुलसफा लखनऊ।
(25) मर्चेन्ट चेम्बर आफ कामर्स ,14/26 सिविल लाइन्स कानपुर ।
(26) एसोशियेटेड चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 4/180 विशाल खण्ड पी0वी0-17 गोमती नगर लखनऊ ।
(27) पी एच डी चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 1 ए ला प्लास शाहनजफ रोड लखनऊ ।
(28) अवध चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 द्वारा ब्राइट बेबी साइकिल इण्ड0 ऐशबाग रोड,लखनऊ ।
(29) आल इन्डिया मैन्युफैक्चर्स आर्गेनाइजेशन डी-4 साइट संख्या 3 मेरठ रोड इण्डस्ट्रीयल एरिया गाजियाबाद ।
(30) कनफेडरेशन आफ इन्डियन इण्ड0 निराला नगर,लखनऊ ।
(31) राज्य स्तरीय सलाहाकार समिति /सम्भागीयसलाहकार समितिके सदस्यों को सम्बंधित ज्वा0 कमि0 (कार्य0)के माध्यम से ।
(32) प्रदेश प्रमुख लघु उद्योग भारतीय 10इन्जीनियर्स काम्पलेक्स,सुल्तानपुर रोड,रायबरेली ।
(33) शिवकुमार अरोड़ा,एडवोकेट,महा सचिव,उ0प्र0 टैक्स बार एसो0 जमुना बिहार,एस0एस0कालेज रोड,खतौली, मुजफ्फरनगर
(34) श्री मदन मोहन भरतीया एडवोकेट, सदस्य राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उ0प्र0 शासन 26/103 बिरहाना रोड कानपुर ।
(35) प्रो0 डा0 सुरेन्द्र नाथ डीन फैकल्टी आफ ला बनारस हिन्दु यूनिवर्सिटी,बनारस ।
(36) प्रो0 श्रीमती रंजना कक्कड़,15 टैगोर टाउन इलाहाबाद ।
(37) डा0 छेदी लाल साथी, ए-5/1579 इन्द्रा नगर, लखनऊ ।
(38) श्री बी0एन0राय, एडवोकेट,अध्यक्ष, दि यू0पी0टैक्स बार एसो0 45 चन्द्रिका कालोनी,सिगरा वाराणसी ।
(39) श्री अशोक धवन सी के -24/ 1कुंजगली,चौक,वाराणसी ।
(40) श्री नेकी राम गर्ग,अध्यक्षपश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल, 707,पंचशील कालोनी, महाबीर चौक,मु0नगर।
(41) श्री पी0एस0जैन, 138 ए ब्लाक ए सेक्टर 27 नोयडा ।
(42) श्री ब्रित चावला महा सचिव, (पश्चिमी क्षेत्र प्रभारी)उ0प्र0ट्रक आपरेटर्स ,फेडरेशन (रजि0),पुलदाल मण्डी सहारनपुर ।
(43) आर0डी0गुप्ता, एडवोकेट, आकाशपुरी कालोनी ,इलाहाबाद ।
(44) श्री संतोष कुमार (पनामा), प्रदेश उपाध्यक्ष, भा0ज0पा0निवासी 60चाहचन्द इलाहाबाद ।
(45) श्री शैलेश मिश्रा, महामॅत्री, लोहा व्यापार मंडल,उत्तर प्रदेश ,19 सुरेशबाग, कानपुर ।
(46) इन्डियन इण्ड0एसो0, 159/ए -8, 15 प्रकाश मार्केट, लाला लाजपत राय चौक,मु0नगर ।
(47) संयोजक,टैक्सेशियों एकैडमिक एण्ड वेलफेयर फोरम एसो, वेस्टर्न यू0पी0,52,नगर निगम कम्पाउन्ड कैसरबाग रोड मेरठ
(48) टैक्सेशन बार एसोसिएशन ट्रेड टैक्स बार रुम जयपुर हाऊस , आगरा ।
(49) श्री मलिक विजय कपूर चेयरमैन कानपुर इण्डस्ट्रियल डिवीजन को0प0 स्टेट लि0 51-बी उद्योग नगर कानपुर।
(50) श्री अनिल कुमार बंसल दि यू0पी0रोलर फ्लोर मिलर्स एसो0 3-एक्स,गोखले मार्ग लखनऊ ।
(51) श्री दिनेश अरोरा उ0प्र0 वनस्पति प्रोडूयसर्स एसो0 51/58-ए शक्कर पट्टी कानपुर ।

(52) श्री नन्द लाल उपाध्यक्ष उ0प्र0 टेन्ट व्यापार एसो0 565/566 राजेन्द्र नगर लखनऊ।
(53) श्री हुलास राय सिंघल, प्रदेश अध्यक्ष,एफ-3,पार्क रोड,लखनऊ।
(54)श्री अरुण कुमार अवस्थी, प्रान्तीय संगठन मन्त्री,अखिल भारतीय उदयोग व्यापार मण्डल,(पँजी0-बी-29,विधायक निवास, दारुल शफा,लखनऊ।
(55) माननीय अध्यक्ष,व्यापार कर सलाहकार समिति,सचिवालय,लखनऊ।
(56) श्री गोपाल अग्रवाल, राष्ट्रीय महामंत्री आल इण्डिया उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल , 27 ए मिशन कम्पाउन्ड मेरठ।
(57) श्री दिनेश चन्द्र मित्तल , उपाध्यक्ष उ0प्र0 कागज कापी व्यवसायी संघ ,6/6-ए,उ0 बी0एन0रोड,अमीनाबाद लखनऊ।
(58) अध्यक्ष , इण्डियन इन्डस्ट्रीज एसोसिएशन ,विभूति खण्ड फेस 2 गोमती नगर लखनऊ।
(59) वैट लॉ जनरल 10 नगर निगम कम्पाउन्ड ,कैसर गंज रोड मेरठ ।
(60) वीरेन्द्र कुमार अग्रवाल मण्डल उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल मण्डल कैम्प कार्या0 इमलीवलानोटरा सादाबाद गेट,हाथरस
(61) सर्वश्री दि किराना मर्चेन्ट्स एसोसियेशन, 67/116 सेवा समिति भवन, केनाल रोड, कानपुर।
(62) श्री अरविन्द कुमार गुप्ता, एडवोकेट, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश टैक्सबार एसोसियेशन, सीताराम, आजमगढ़ (उ0प्र0)
(63) श्री रमेश केसरवानी (प्रदेश सचिव) जिलाध्यक्ष, उ0प्र0उद्योग व्यापार मण्डल-22/26 आशादेवी मार्केट , खोया मण्डी इलाहाबाद।
(64) श्री मनोज कुमार गुप्ता, अध्यक्ष,राष्ट्रवादी उद्योग व्यापार मण्डल, सुभाषनगर,गली न0-6 गोपाल टॉकीज के पीछे बदायूँ, ।
(65) श्री मनीष शर्मा ला मैनेजमेन्ट हाउस, आगरा- 15/5 राजनगर, गाजियाबाद।
(66) श्रीमती इन्दु मिश्रा, इन्दु पब्लिकेशन, आर0डी0सी0-51, राजनगर , गाजियाबाद।
(67) श्री बी0एन0शुक्ला, अध्यक्ष, यू0पी0 पेट्रोलियम ट्रेडर्स एसोसियेशन, 103 बी प्रतिभा तीरथ एपार्टमेन्ट, 1 यूनिवर्सिटी रोड, लखनऊ।

31/12/10
(बी0एन0द्विवेदी)
ज्वाइण्ट कमिश्नर (विधि) वाणिज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ।

अनुलग्नक-1

उत्तर प्रदेश के टेन्ट,कनात, मेज, कुर्सी, कालीन, दरी, चादर, गद्दा, रजाई, तकिया, बेड तथा सजावट के सामान के प्रयोग के अधिकार के अन्तरण पर मूल्य संवर्धित कर के विकल्प में उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर अधिनियम 2008 के अन्तर्गत

समाधान हेतु प्रार्थना -पत्र

सेवा में,

कर निर्धारक अधिकारी

खण्ड / मण्डल / उपमण्डल ----------

महोदय,

मैं, फर्म सर्वश्री --जिसका मुख्यालय --------------------------पर स्थित है तथा जिसे उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा 17 में पंजीयन प्राधिकारी खण्ड -------- द्वारा पंजीयन प्रमाण-पत्र संख्या (टिन) ------------------------------ दिनांक ------------- से प्रभावी जारी किया गया का स्वामी/साझीदार/-----------------हूँ। मैंने टेन्ट,कनात, मेज, कुर्सी, कालीन, दरी, चादर, गद्दा, रजाई, तकिया, बेड तथा सजावट के सामान की वर्ष ------------- में किये गये माल के प्रयोग के अधिकार के अन्तरण से प्राप्त धनराशि पर देय मूल्य संवर्धित कर के विकल्प में एकमुश्त राशि स्वीकार करने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी निर्देशों को स्वयं पढ़ लिया है अथवा पूर्ण रुप से सुन लिया है और भली भाँति समझ लिया है। उस निर्देश की सभी शर्तें मुझे मान्य है। उन्हीं के अधीन मैं यह प्रार्थना पत्र उक्त फर्म की ओर से प्रस्तुत कर रहा हूँ।

मैं उक्त फर्म द्वारा टेन्ट,कनात, मेज, कुर्सी, कालीन, दरी, चादर, गद्दा, रजाई, तकिया, बेड तथा सजावट के सामान की उक्त अवधि में किये गये माल के प्रयोग के अधिकार के अन्तरण से प्राप्त धनराशि पर देय मूल्य संवर्धित कर के स्थान पर उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2008 के उपबन्धों के अधीन समाधान हेतु एकमुश्त धनराशि संलग्न शपथपत्र/अनुबन्ध पत्र के अनुसार रुपया ----------------- स्वीकार किये जाने का निवेदन करता हूँ। उक्त धनराशि रुपया ------------ तथा नियमानुसार उस पर 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज रुपयें ----------- अर्थात् कुल रु0------------- ट्रेजरी चालान संख्या-------- दिनांक ------------- द्वारा जमा कर दिया है जिसकी प्रति संलग्न है। यह भी घोषणा करता हूँ कि किसी कारण से मेरा यह निवेदन वापस या निष्प्रभावी नहीं होगा।

दिनांक ------------------------------------- को मेरे यहाँ स्टाक निम्नवत् था :-

क्रम सं0	माल का विवरण (साइज के अनुसार अलग-अलग)	संख्या	अनुमानित मूल्य	अन्य विवरण
1				
2				
3				
4				
	योग (कुल स्टाक का कुल मूल्य रु0 में)		---------------------	

मेरी उपर्युक्त फर्म द्वारा अन्य कोई व्यापार नहीं किया गया है / मेरी फर्म द्वारा उपर्युक्त माल के प्रयोग के अधिकार के हस्तान्तरण के अतिरिक्त भी व्यापार किया जाता है। ऐसे अन्य व्यापार के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2008 के प्राविधानों के अन्तर्गत कर विवरणी (रिटर्न) प्रस्तुत करने, जमा करने, कर निर्धारण करने की नियमित कार्यवाही कराऊंगा। भविष्य में भी अन्य व्यापार प्रारम्भ करने की स्थिति में भी यही प्राविधान मान्य होगा।

दिनांक ----------- हस्ताक्षर --------------------------------

संलग्नक:- ट्रेजरी चालान व शपथ पत्र / अनुबन्ध पत्र पूरा नाम --------------------------------

प्रास्थिति --------------------------------

प्रमाणीकरण

इस प्रार्थना-पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को व्यक्तिगत रुप से जानता हूँ। यह फर्म -------------------------- के स्वामी / साझीदार / -------------- है तथा इस प्रार्थना-पत्र पर उन्होंनें मेरे समक्ष हस्ताक्षर किया है।

प्रमाणीकरण करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर ----------------------------------

पूरा नाम --- पूरा पता ---

अनुलग्नक-2

समाधान योजना अपनाने वाले टेन्ट व्यवसाइयों के सम्बन्ध में शपथ पत्र / अनुबन्ध पत्र

समक्ष कर निर्धारक अधिकारी

खण्ड/मण्डल / उपमण्डल ---------

मैं --- पुत्र श्री -- आयु --------- वर्ष स्थायी निवासी --- (पूरा पता) शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि :-

1.मैं, फर्म सर्वश्री --- का स्वामी / साझीदार / ---------------- हूँ तथा यह शपथ-पत्र अपनी उपरोक्त फर्म की ओर से दे रहा हूँ।

2.मेरे फर्म के मुख्यालय तथा शाखाओं के विवरण निम्नवत् है :-

पूरा पता :- 1. मुख्यालय	वस्तुऐं जो किराये पर दी जाती है।
2. शाखाएं (अ)	
(ब)	
(स)	

इसके अतिरिक्त प्रदेश में मेरी कोई अन्य शाखा नहीं है।

3-टेन्ट,कनात, मेज, कुर्सी, कालीन, दरी, चादर, गद्दा, रजाई, तकिया, बेड तथा सजावट के सामान के प्रयोग के अधिकार के अन्तरण से प्राप्त धनराशि पर देय मूल्य संवर्धित कर के स्थान पर उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2008 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन समाधान हेतु एकमुश्त धनराशि स्वीकार करने से संबंधित शासन के निर्देश एवं उसमें अंकित सभी शर्तों तथा कमिश्नर, वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश द्वारा दिये गये आदेशों एवं प्रतिबन्धों की पूरी-पूरी एवं सही जानकारी मुझे तथा मेरे फर्म मे हितबद्ध अन्य व्यक्तियों को हो चुकी है तथा सभी निर्देश, शर्तें, आदेश, प्रतिबन्ध मुझे तथा मेरे फर्म में हितबद्ध अन्य व्यक्तियों को मान्य है और सदा रहेंगें।

4. मेरी उक्त फर्म के अपने निजी टेन्ट, कनात, मेज, कुर्सी, कालीन, दरी, चादर, गद्दा, रजाई, तकिया, बेड तथा सजावट के सामान का दिनांक 1 अप्रैल (वर्ष 07-08 के लिये 01 जनवरी), ------------ को निम्नलिखित विवरण के अनुसार माल स्टाक में था / है :-

क्रम सं0	माल का विवरण (साइज के अनुसार अलग-अलग)	संख्या	अनुमानित मूल्य	अन्य विवरण
1				
2				
3				
4				
	योग (कुल स्टाक का कुल मूल्य रु0 में)		-----------------------	

(आवश्यकतानुसार अलग संलग्नक का प्रयोग किया जा सकता है)

5. प्रस्तर-4 में अंकित स्टाक, मात्रा, मूल्य तथा तालिका में अंकित धनराशि का कुल योग, दिनांक ------------------ को रुपया ------------------ था; जिसके अनुसार समाधान राशि रुपये --------------- मेरी फर्म / हमारी फर्म द्वारा देय होगी।

6. यदि वित्तीय वर्ष ------------- के लिए मेरा समाधान धनराशि का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है तब मेरी फर्म इस शपथ पत्र / अनुबन्ध मे दी गयी शर्तो का अनुपालन करने, शासन द्वारा दिये गये निर्देशों तथा कमिश्नर वाणिज्य कर द्वारा लगाई गई शर्तो / प्रतिबन्धों में दिए गये आदेशों का पालन करने तथा अपने दायित्वों को निबाहने के लिए बाध्य होगी। शासन/कमिश्नर द्वारा दिये गये निर्देशों, लगाये गये प्रतिबन्धों और निर्धारित शर्तो के अनुपालन न किये जाने की दशा में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार तथा वाणिज्य कर विभाग द्वारा मेरी फर्म के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाहियां किया जा सकेगा।

संलग्नक: उपरोक्त।

हस्ताक्षर ---

पूरा पता ---

प्रास्थिति ---

घोषणा

यह कि मै --------------------------- उपरोक्त घोषणा करता हूँ कि शपथ पत्र/अनुबन्ध के प्रस्तर-1 से 6 में अंकित विवरण मेरी जानकारी और विश्वास में पूर्ण तथा सत्य है और कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। यह भी घोषणा करता हूँ कि इस शपथपत्र/अनुबन्ध तथा इसके संलग्नक में निर्धारित प्रतिबन्ध में, शर्तो और निर्देशों से मै तथा मेरी फर्म में हितबद्ध अन्य सभी व्यक्ति आबद्ध रहेंगें।

साक्षी के हस्ताक्षर --- हस्ताक्षर --------------------------------

नाम एवं पता --- नाम --------------------------------

तिथि एवं स्थान -- प्रास्थिति --------------------------------

संख्या–क0नि0–1950 /ग्यारह–2–9(66)/01

प्रेषक,

वी0पी0 सिंह
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

कमिश्नर,
वाणिज्यकर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 — लखनऊ::दिनांक::30 दिसम्बर, 2010

विषय–रूपये 25 लाख तक स्टाक रखने वाले टैंट व्यवसाईयों द्वारा टैन्ट, कनात, मेज, कुर्सी, कालीन, दरी, चादर, गद्दा, रजाई, तकिया, बेड तथा सजावट के सामान के उपयोग के अधिकार के अन्तरण पर देय मूल्य संवर्धित कर के विकल्प में समाधान योजना लागू किया जाना।

महोदय,

सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि वित्तीय वर्ष 2007–08 में दिनांक 01.01.08 से 31.03.08 की अवधि , वित्तीय वर्ष 2008–09, वित्तीय वर्ष 2009–10 एवं वित्तीय वर्ष 2010–11 के लिए रू0 25.00 लाख तक स्टॉक रखने वाले टैन्ट व्यवसाईयों द्वारा टैन्ट, कनात, मेज, कुर्सी, कालीन, दरी, चादर, गद्दा, रजाई, तकिया, बेड तथा सजावट के सामान के उपयोग के अधिकार के अन्तरण पर देय मूल्य संवर्धित कर के विकल्प में समाधान योजना लागू की जाये। इस सम्बन्ध में शासन के निर्देश इस पत्र के साथ संलग्न हैं। समाधान सम्बन्धी प्रार्थनापत्र/शपथ पत्र का प्रारूप कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किया जायेगा।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया शासन के उक्त निर्णय के अनुरूप कार्यवाही करने का कष्ट करें तथा योजना का व्यापक प्रचार/प्रसार करने एवं योजना के अन्तर्गत प्राप्त राजस्व के ऑकड़े भी यथासमय शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(वी0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

रूपये 25 लाख तक स्टाक रखने वाले टैंट व्यवसाईयों द्वारा टैन्ट, कनात, मेज, कुर्सी, कालीन, दरी, चादर, गद्दा, रजाई, तकिया, बेड तथा सजावट के सामान के उपयोग के अधिकार के अन्तरण पर देय मूल्य संवर्धित कर के विकल्प में समाधान योजना लागू किये जाने के सम्बन्ध में शासन के निर्देश।

रू0 25 लाख तक स्टाक रखने वाले टैन्ट व्यवसाईयों द्वारा टैन्ट, कनात, मेज, कुर्सी, कालीन, दरी, चादर, गद्दा, रजाई, तकिया, बेड तथा सजावट के सामान के उपयोग के अधिकार के अन्तरण पर देय कर के विकल्प में उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत समाधान योजना कर निर्धारक अधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकार की जा सकती है:–

(क) वित्तीय वर्ष 2007-08 में दि0 1-1-08 से दि0 31-3-08 तक की अवधि के लिये, वित्तीय वर्ष 2008-09, वित्तीय वर्ष 2009-10 एवं वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए समाधान राशियां निम्नवत् होगीं :-

अवधि/वित्तीय वर्ष	रू0 1 लाख तक के स्टाक के लिए	रू0 1 लाख से रू0 5 लाख तक के स्टाक के लिए	रू0 5 लाख से रू0 15 लाख तक के स्टाक के लिए	रू0 15 लाख से रू0 25 लाख तक के स्टाक के लिए
2007-08 की दिनांक 1-1-08 से 31-3-08 तक की अवधि	रू0 180/-	रू0 960/-	रू0 5100/-	रू0 13,8 00/-
2008-2009	रू0 800/-	रू0 4250/-	रू0 22,500/-	रू0 60,500/-
2009-2010	रू0 900/-	रू0 4700/-	रू0 25,000/-	रू0 66,500/-
2010-2011	रू0 1000/-	रू0 5200/-	रू0 27,500/-	रू0 73,000/-

(ख) इस समाधान योजना में व्यवसायियों द्वारा टेन्ट, कनात, मेज, कुर्सी, कालीन,दरी, चादर, गद्दा, रजाई, तकिया, बेड तथा सजावट के सामान सम्मिलित हैं। अतः उक्त सभी वस्तुओं को स्टाक में शामिल करते हुए समाधान शुल्क की गणना की जायेगी।

(ग) वित्तीय वर्ष 2007–08 की तीन माह की अवधि(दिनांक 1.1.2008 से दिनांक 31.03.2008 तक), 2008–09 या 2009–10 में यदि किसी व्यवसायी द्वारा समाधान राशि से अधिक की धनराशि नक्शा/रूपपत्र–24 के साथ स्वीकृत कर के रूप में जमा की गई है तो ऐसी अधिक धनराशि वापसी योग्य नहीं होगी।

(घ) जिन मामलों में उपर्युक्त अवधि का एक पक्षीय रूप से कर निर्धारण नहीं करते हुए सुनवाई के उपरान्त कर निर्धारण कार्यवाही सम्पादित की जा चुकी हो, उनमें समाधान योजना की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी।

(ड.) मूल्य संवर्धित कर अधिनियम के अधीन देय कर के विकल्प में समाधान योजना के अन्तर्गत विकल्प देने वाले टैन्ट व्यवसाईयों द्वारा कमिश्नर, वाणिज्यकर, उ0प्र0 द्वारा इस योजना को निर्गत किये जाने की तिथि के 45 दिन के अन्दर निर्धारित प्रारूप में विकल्प प्रार्थना–पत्र एवं शपथ पत्र निर्धारित समाधान राशि के जमा के ट्रेजरी चालान के साथ अपने कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

(च) उक्त 45 दिन की अवधि समाप्त होने के पश्चात अगले 30 दिन की अवधि में 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित समाधान राशि एवं विकल्प प्रार्थना–पत्र/शपथ पत्र स्वीकार किया जायेगा।

(छ) समाधान योजना अपनाने वाले व्यवसाईयों द्वारा कोई टैक्स इनवाईस अथवा सेल इनवाईस जारी नहीं किया जायेगा तथा ऐसे व्यवसाईयों को किसी प्रकार की आईटीसी की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी।

(ज) यह योजना केवल टैन्ट व्यवसाईयों द्वारा टैन्ट, कनात, मेज, कुर्सी, कालीन, दरी, चादर, गद्दा, तकिया, बेड, सजावट के सामान के उपयोग करने के अधिकार के अन्तरण पर देय मूल्य संवर्धित कर के विकल्प के लिए ही अनुमन्य होगी। यदि किसी टैन्ट व्यवसाई द्वारा इन वस्तुओं की खरीद अथवा बिक्री की जाती है अथवा अन्य वस्तुओं की खरीद अथवा बिक्री की जाती है तो ऐसी खरीद अथवा बिक्री पर नियमानुसार उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम के अन्तर्गत कर का दायित्व होगा।

(झ) समाधान योजना के प्रार्थना–पत्र एवं शपथ पत्र का प्रारूप कमिश्नर, वाणिज्यकर द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

(ट) समाधान योजना अपनाने वाले व्यापारियों द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए समाधान योजना प्रारम्भ की प्रथम तिथि को अपना स्टाक समाधान योजना के प्रार्थना–पत्र के साथ घोषित किया जायेगा।

(ठ) समाधान योजना के प्रार्थना–पत्र एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में वाणिज्य कर विभाग के अधिकारी जांच करने के लिए स्वतंत्र होंगे। जांच के समय टैन्ट व्यवसाईयों एवं उनके किसी प्रतिनिधि अथवा किसी कर्मचारी द्वारा जांच कार्य में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं किया जायेगा एवं जांच में पूर्ण सहयोग दिया जायेगा। जांच में व्यवधान उत्पन्न करने अथवा असहयोग करने की दशा में प्रार्थना–पत्र एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों की विश्वसनीयता संदिग्ध मानते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किया जा सकता है तथा उ0 प्र0 मूल्य संवर्धित कर अधिनियम के अन्तर्गत अन्य विधिक कार्यवाही की जा सकती है।

(ड) जो व्यापारी समाधान योजना एक बार अपना लेंगे उन्हें इस बात की अनुमति नहीं होगी कि वे समाधान योजना का विकल्प वापस ले लें।

(ढ) जो व्यापारी एक से अधिक जनपदों में कार्य करते हैं, वह अपने मुख्यालय की घोषणा संबंधित मुख्यालय के कर निर्धारक अधिकारी को देगे तथा अन्य जिलों के ऐसे वाणिज्य कर अधिकारियों, जिनके क्षेत्र में उनका उप–व्यापार स्थल स्थित है, को भी सूचित करेंगे। जिन व्यापारियों का मुख्यालय उत्तर प्रदेश के बाहर अथवा भारत वर्ष के बाहर हो तथा उसके द्वारा उत्तर प्रदेश के अन्दर भी विभिन्न जिलों में कार्य किया जाता हो ऐसे व्यापारी उत्तर प्रदेश के अन्दर किसी एक कार्य स्थल को अपना प्रदेशीय मुख्यालय घोषित करेंगे।

(ण) समाधान राशि, उस पर देय ब्याज तथा अर्थदण्ड की वसूली उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के प्राविधानों के अन्तर्गत भू–राजस्व की बकाया के रूप में की जायेगी।

(त) विवादित बिन्दुओं पर कमिश्नर, वाणिज्यकर, उ0प्र0 का निर्णय अन्तिम होगा।

(थ) शासन द्वारा वर्ष के दौरान समाधान योजना कभी भी पुनरीक्षित की जा सकती है या वापस ली जा सकती है। ऐसी दशा में समानुपातिक रूप से समाधान राशि देय होगी।

(वी0पी0 सिंह)
विशेष सचिव